لا إله إلا الله

इस्लामी अक़ीदा

(सवाल-जवाब)

अनुवादक
अबू फ़ैसल/आबिद बिन सनाउल्लाह
मदनी

लेखक
शैख़ मुहम्मद बिन जमील जैनू

इस्लामी अक़ीदा

इस्लामी अकीदा

(सवाल - जवाब)

लेखक

शैख मुहम्मद बिन जमील ज़ैनू

अनुवादक

अबू फैसल / आबिद बिन सनाउल्लाह मदनी

MAKTABA AL-FAHEEM
Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph. (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email maktabaalfaheemmau@gmail.com
WWW.faheembooks.com

नाम किताब	:	इस्लामी अक़ीदा
लेखक	:	शैख मुहम्मद बिन जमील ज़ैनू
अनुवादक	:	आबिद बिन सनाउल्लाह मदनी
प्रकाशक	:	मक्तबा अलफ़हीम, मऊ
प्रकाशन वर्ष	:	2011
पेज	:	48
मुल्य	:	22 / रु०

शफ़ीक़ुर्रहमान - अज़ीज़ुर्रहमान

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. [illegible]
Email : maktabaalfaheemmau@gmail.com
WWW.faheembooks.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرورانفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلله فلاهادي له — واشهد ان محمدا عبده ورسوله . امابعد !

यह अक़ीदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने क़ुरआन और हदीस से प्रमाणित किये हैं। ताकि पाठक वर्ग को उत्तर के दुरुस्त होने पर इत्मिनान हो जाए। क्योंकि अक़ीदये तौहीद ही दुनिया और आख़िरत की सआदत् की बुनियाद है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि इस से मुसलमानों को फायदा पहुंचाये और यह काम केवल अल्लाह ही के लिए हो।

मुहम्मद बिन जमील ज़ैनू

बन्दों पर अल्लाह का हक़

सवाल (१) अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा फरमाया है ?

जवाब : अल्लाह तआला ने हमें इस लिए पैदा किया है ताकि हम उस की इबादत करें और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराएँ ।

दलील : अल्लाह का फरमान है :-

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ﴾ (الذاريات /٥٦)

मैं ने इन्सानों और जिन्नातों को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है । (सूरा अज़्ज़ारियात ५६)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ।

((حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَايُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً.)) (متفق عليه)

बन्दों पर अल्लाह तआला का हक़ यह है कि वे केवल उसी की इबादत करें और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराएँ । (बुख़ारी और मुस्लिम)

सवाल (२) इबादत का अर्थ क्या है ?

जवाब : इबादत उन तमाम कामों और बातों को कहते हैं जिन को अल्लाह पसन्द फरमाता है । जैसे दुआ , नमाज़ क़ुरवानी वग़ैरा ।

दलील : अल्लाह का शुभ फरमान है ।

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الانعام /١٦٢)

हे नबी ! कह दो बेशक् मेरी नमाज़ , मेरी क़ुरबानी , मेरा जीना और मरना सब अल्लाह रब्बुल् आलमीन के लिए है । (सूरा [illegible] १६२)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है :-

قال الله تعالى ((وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ .)) (البخاري)

अल्लाह तआला का फ़रमान है कि ((मेरा बन्दा जिन जिन चीज़ों के ज़रिया मेरी कुरबत हासिल करता है उन में जो चीज़ें मैंने उन के ऊपर फ़र्ज़ की हैं उन से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई चीज़ महबूब नहीं है।)) (बुख़ारी)

सवाल (३)हम अल्लाह तआला की इबादत किस तरह करें ?

जवाब : हम अल्लाह तआला की इबादत उसी तरह् से करें जिस तरह् अल्लाह और उस के रसूल ﷺ ने हुकम दिया है।

दलील : अल्लाह तआला का इरशाद है।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد/٣٣)

ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत् करो और रसूल की इताअत् करो (और इन दोनों की मुख़ालफत् करके) अपने आमाल बरबाद न करो। (सूरा मुहम्मद ३३)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) (مسلم)

जिस किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसे करने का हमने आदेश नहीं दिया या उस काम को हम ने खुद नहीं किया तो वह मरदूद है। (मुस्लिम)

सवाल (४) क्या हम अल्लाह की इबादत डर और लालच् से करते हैं ?

जवाब :- हाँ ! हम अल्लाह की इबादत खौफ (डर) और लालच् से करते हैं।

दलील :– मोमिनों के गुण और विशेषताएँ (सिफात) बयान करते हुये अल्लाह तआला ने फरमाया।

﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (السجدة/١٦) ·

वह अपने रब की इबादत ख़ौफ और लालच् के साथ करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

(أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّارِ) (أبو داؤد)

मैं अल्लाह से जन्नत माँगता हूँ और जहन्नम से उस की पनाह चाहता हूँ। (अबूदाऊद)

सवाल (५) इबादत में इहसान का क्या मतलब् है ?

जवाब : इबादत में अल्लाह की निगरानी के मुकम्मल् यक़ीन को एहसान कहते हैं।

दलील :– अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ(٢١٨)وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ(٢١٩)﴾ (الشعراء/٢١٨، ٢١٩)

अल्लाह वह है जो तुझ को नमाज़ में अकेले खड़े होते समय और नमाज़ियो के साथ जमाअत् में तेरे उठने बैठने हर एक ह़रकत् को देख रहा है। (सूरा अश्शोरा २१८–२१९)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

(اَلْاِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) (مسلم)

एहसान यह है कि तुम अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम उसे नहीं देखते हो तो इस बात का मुकम्मल यक़ीन रखो कि वह तुम्हें देखता है। (मुस्लिम)

तौहीद की क़िस्में और उस के लाभ

सवाल (६) अल्लाह तआला ने रसूलों को किस लिए भेजा। ?

जवाब : – अल्लाह तआला ने रसूलों को अपनी इबादत की ओर आमंत्रित करने और शिर्क से घृणा करने और उस का इनकार करने के लिए भेजा।

दलील :– अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ﴾ (النحل / ٣٦)

और अवश्य हम ने हर क़ौम में एक रसूल भेजा ताकि अल्लाह की इबादत करो और शैतान की इबादत से बचो।
(सूरा अल्नहल /३६)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ)) (متفق عليه)

तमाम अम्बिया आपस में भाई हैं और उन का दीन एक है।

सवाल (७) तौहीदे रुबूबीयत् का मत्लब् क्या है।

जवाब : – अल्लाह तआला को उस के कामों में एक जानना और मानना। जैसे पैदा करना, तद्बीर करना वग़ैरा।

दलील : – अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ(٢) ﴾ (الفاتحة)

तमाम तारीफ और शुक्र उस अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का पालनहार है। (सूरा फातिहा)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् का फरमान है।

((أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)) (متفق عليه)

तू ही तमाम आसमानों और ज़मीन का रब् है। (बुख़ारी , मुस्लिम)

सवाल(८) तौहीदे उलूहीयत का क्या मतलब् है ?

जवाब : तमाम इबादतों को अल्लाह तआला के लिए ख़ास कर देना तौहीदे उलूहीयत् है। जैसे : दुआ , क़ुरबानी , नज़्र व नियाज़ वग़ैरा।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة ١٦٣)

और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है उस के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं। वह रह्मान और रहीम है। (सूरा अलबक़रा /१६३)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَاتَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَاإِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ)) (متفق عليه)

सब से पहले तुम इस बात की तरफ् लोगों को बुलाओ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत् के लायक़ नहीं। (बुख़ारी , मुस्लिम)

और बुख़ारी की रिवायत् में है : إِلَى أَن يُوَحِّدُوْا اللهَ यानी सब से पहले इसी तौहीद की तरफ उन्हें दावत देते रहो यहाँ तक कि वे इस को क़बूल कर लें।

सवाल (९) तौहीद अस्मा व सिफात का अर्थ क्या है ?

जवाब : अल्लाह तआला ने अपनी किताब क़ुरआन मजीद में जो अपनी सिफात बयान की हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह हदीसों में जो सिफात अल्लाह तआला के वयान किए हैं उस को हक़ीक़त पर मह्मूल (आधारित) करते हुए साबित् मानना। उस की तावील न करना और न ही इस सिलसिला में तहरीफ़ व तम्सील और तअ्तील का तरीक़ा

इख़्तियार करना। जैसे : इस्तिवा , नुजूल और यद् वग़ैरा जो अल्लाह के कमाल के लायक़ हैं।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشوري /١١)

अल्लाह के मिस्ल कोई चीज़ नहीं और वह सुनने वाला और देखने वाला है। (सूरा शूरा /११)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((يَنْزِلُ اللهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا)) (مسلم)

अल्लाह तआला हर रात पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है। अर्थात पहले आसमान पर उतरता है। (मुस्लिम) उस तरह उतरता है जो अल्लाह तआला के शायाने शान है , उस की मख़लूक़ात में से किसी मख़लूक़ की तरह् नहीं।

सवाल (१०) अल्लाह तआला कहाँ हैं ?

जवाब : अल्लाह तआला आसमान पर अ़र्श के ऊपर हैं।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه / ٥)

रह़मान अर्श पर मुस्तवी (विराजमान) हुआ। (सूरा तवाहा /५) मुस्तवी होने का अर्थ है बुलन्द होना , ऊँचा होना , जैसा कि बुख़ारी शरीफ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।

((إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَاباً........فَهُوَعِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ)) (متفق عليه)

बेशक् अल्लाह ने एक किताब लिखी ----जो उस के पास अ़र्श के ऊपर है। (बुख़ारी तथा मुस्लिम)

सवाल (११) क्या अल्लाह तआला हमारे साथ है ?

जवाब : अल्लाह तआला सुनने , देखने और इल्म के एतबार से हमारे साथ है ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ (طه/٤٦)

अल्लाह तआला ने फरमाया ऐ मूसा और हारून ((तुम दोनों न डरो बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ ,सुन्ता और देखता हूँ ।)) (ताहा/ ४६)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ।

((إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً وَهُوَ مَعَكُمْ)) (مسلم)

बेशक तुम सुनने वाले , बहुत ही क़रीब रहने वाले को पुकारते हो और वह तुम्हारे साथ है । (यानी इल्म, ज्ञान और सुनने , देखने के एतबार से अल्लाह तुम्हारे साथ है) (मुस्लिम)

सवाल (१२) तौहीद का फाइदा क्या है ?

जवाब : तौहीद का फाइदा है । आख़िरत में अज़ाबे इलाही से अमन व अमान , दुनिया में हिदायत (मार्गदर्शन) , शान्ति और गुनाहों से बख़्शिश् ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الانعام/٨٢)

जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने अपने ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाया ऐसे ही लोगों के लिए अम्न व सुकून है और यही लोग हिदायत याफता हैं । (सूरा अल्अन्आम /८२)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ।

((حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً)) (متفق عليه)

अल्लाह पर बन्दों का हक़ यह है कि वह उस को अज़ाब न दे जो उस के साथ किसी को शरीक न करता हो । (बुख़ारी तथा मुस्लिम)

अमल की क़बूलियत् की शर्तें

सवाल (१३) अमल के क़बूल होने की क्या शर्तें हैं ?

जवाब:अल्लाह के यहाँ अमल के क़बूल होने की तीन शर्तें हैं।

१— अल्लाह पर ईमान लाना और तौहीद पर मरते दम तक क़ायम रहना।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (الكهف/١٠٧)

बेशक् जो लोग ईमान लाए और नेक अमल् किये उन की मेहमानी के लिए फिरदौस् (जन्नत)के बागैचे हैं।(सूरा अल्कहफ् /१०७)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् का फरमान है।

((قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ)) (مسلم)

कहो ! कि मैं अल्लाह तआला पर ईमान लाया फिर उस पर क़ायम् हो। (मुस्लिम)

२ — इख़्लास : यानी अमल ख़ालिस् अल्लाह के लिए हो उस में किसी तरह की रिया व नमूद और दिखावा न हो।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (الزمر/٢)

दीन को ख़ालिस् करते हुये अल्लाह की इबादत् करो। (ज़ुमर/२)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है।

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) (متفق عليه)

बेशक् अमल का दारवमदार नीयत् पर है। (बुख़ारी तथा मुस्लिम)

३ — अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् की लाई हुई शरीअत् के मुताबिक् और मुवाफ़िक् हो।

दलील : अल्लाह तआला का इरशाद है।

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر/٧)

जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिस से रोक दें उस से रुक् जाओ। (सूरा अल्हश्र / ७)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) (مسلم)

जिस किसी ने कोई ऐसा अमल किया जिस को हम ने नहीं किया और न ही उस के करने का हुकम दिया , तो वह काम या अमल मरदूद है। (मुस्लिम)

शिर्के अक्बर का बयान

सवाल(१)अल्लाह के नज़दीक सब से बड़ा गुनाह कौन सा है?

जवाब : सब से बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان /١٣)

हजरत लुक़्मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था। ((ऐ मेरे बेटे ! अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना , बेशक शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म (गुनाह तथा अत्याचार) है।)) (सूरा लुक़्मान /१३)

और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया

((أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) (متفق عليه)

कौनसा गुनाह सब से बड़ा है ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् ने फरमाया :– यह कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठेहराओ हालाँकि उस ने तुम को पैदा किया है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

सवाल (२) शिर्के अकबर क्या है ?

जवाब : अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत को शिर्के अकबर कहते हैं। जैसे अल्लाह के सिवा किसी अन्य से दुआ करना , मुर्दों या ग़ायब ज़िन्दों से इस्तिग़ासा व फरयाद करना।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء /٣٦)

अल्लाह ही की इबादत करो और उस के साथ किसी को शरीक न ठेहराओ। (सूरा अन्निसा /३६)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।

((مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللهِ))

सब से बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है।

सवाल (३) क्या इस उम्मत (मुस्लिम समुदाय) में भी शिर्क मौजूद है ?

जवाब : हाँ मौजूद है।

दलील : अल्लाह का फरमान है।

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (يوسف / ١٠٦)

अक्सर लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखने का दावा भी करते हैं और इस के बावजूद वे शिर्क में ग्रस्त होते हैं।
(सूरा यूसुफ् / १०६)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ)) (صحيح رواه الترمذى)

क़यामत नहीं क़ायम होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत (अर्थात मुस्लिम समुदाय) के बहुत सारे क़बीले मुशरिकों से जा मिलेंगे और बुतों की इबादत करने लगेंगे। (सहीह त्रिमिज़ी)

सवाल (४) मुर्दों और ग़ायब् ज़िन्दों को पुकारना कैसा है ?

जवाब :मुर्दों और ग़ायब् जिन्दों को पुकारना शिर्के अकबर है।

दलील : अल्लाह तआला का इरशाद है।

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس /١٠٦)

अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को मत् पुकारो जो न तो तुम्हें नफा पहुँचा सकते हैं और न नुक़सान। अगर तुम ने ऐसा किया तो बेशक तुम ज़ालिमों (मुशरिकों) में से हो जाओगे।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدّاً دَخَلَ النَّارَ)) (رواه البخارى)

जो आदमी इस हालत में मर गया कि वह अल्लाह को छोड़ कर किसी शरीक को पुकारता था तो ऐसा आदमी जहन्नम में दाख़िल् होगा। (बुख़ारी)

सवाल (५) क्या दुआ इबादत है ?

जवाब : हाँ दुआ इबादत है।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر/٦٠)

और तुम्हारे रब् ने कहा ! केवल मुझ को पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को क़बूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से मुँह मोड़ते हैं और मेरी इबादत से भागते हैं अन्क़रीब ऐसे लोग ज़लील व रुस्वा होकर जहन्नम में दाख़िल होंगे। (ग़ाफिर/६०)
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) (أحمد ــ وقال الترمذى حسن صحيح)

दुआ ही इबादत है। (मुस्नद अहमद् – त्रिमिज़ी)

सवाल (६) क्या मुर्दे दुआ को सुन्ते हैं।

जवाब : नहीं सुन्ते हैं।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾ (النمل / ٨٠)

बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते हैं। (सूरा नमल /८०)

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (فاطر/٢٢)

आप क़बर वालों को नहीं सुना सकते हैं। (सूरा फातिर)

शिर्के अकबर की क़िस्में

सवाल (७) क्या हम मुर्दों और ग़ायब ज़िन्दों से इस्तिग़ासा व फरियाद कर सकते हैं । ?

जवाब :हम उन से इस्तिग़ासा व फरियाद नहीं कर सकते हैं ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ(٢٠)أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ(٢١)﴾ (النحل/٢٠ــ٢١)

और ये मुशरिक अल्लाह के सिवा जिन जिन को पुकारते हैं वे कुछ नहीं पैदा कर सकते , बल्कि वे तो खुद पैदा किए गए हैं । और उन को तो यह भी मालूम नहीं है कि वे कब उठाये जायेंगे । (सूरा अन्नहल / २०– २१)

और अल्लाह तआला एक दूसरी आयत में फरमाते हैं ।

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ (الانفال /٩)

जब तुम अपने रब से फरयाद कर रहे थे (बदर की लड़ाई के मौक़ा पर) तो अल्लाह ने तुम्हारी फरयाद सुन ली और तुम्हारी फरयाद रसी की । (सूरा अल्अन्फाल / ९)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् का इरशाद है ।

((يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيثُ)) (حسن رواه الترمذي)

ऐ हमेशा ज़िन्दा रहेने वाले (चिरञ्जीवी) सब को संभालने वाले अल्लाह मैं तेरी रहमत् के वास्ते से इस्तिग़ासा व फरियाद करता हूँ । (त्रिमिज़ी)

सवाल (८) क्या अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से मदद् तलब् करना जायज् है। ?

जवाब : अल्लाह के सिवा किसी और से मदद् तलब करना जायज नहीं है।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحه)

हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद् माँगते हैं। (सूरा अल्फातिहा)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((إِذَ سَأَلْتَ فَسْئَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ)) (حسن صحيح رواه الترمذي)

जब तुम माँगो तो अल्लाह ही से माँगो और जब मदद् तलब् करो तो अल्लाह ही से मदद् तलब् करो। (त्रिमिज़ी)

सवाल (९) क्या हम ज़िन्दों से मदद् तलब् कर सकते हैं ?

जवाब : हाँ जिन कामों के करने की उन को क़ुदरत और ताक़त् हो उन कामों में हम उन से मदद् तलब् कर सकते है।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المائده / ٢)

नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद् करो। (सूरा अल्माइदा /२)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ)) (مسلم)

अल्लाह अपने वन्दे की मदद् में रहता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद् में होता है। (मुस्लिम)

सवाल (१०) क्या अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नज़र मानना जायज् है । ?

जवाब : नज़र व नियाज़ सिर्फ अल्लाह के लिए जायज् है और किसी के लिए नहीं ।

दलील : अल्लाह तआला का इरशाद है ।

﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ (آل عمران /٣٥)

ऐ मेरे ! रब् जो बच्चा कि मेरे पेट में है मैं उस को तेरी नज़र करती हूँ वह संसारिक कामों से आज़ाद रहेगा । (सूरा आले इम्रान ३५)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ।

((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَّعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِيْهِ)) (البخاري)

जिस ने यह नज़र मानी कि वह अल्लाह की इताअत् करेगा तो चाहिए कि वह अल्लाह की इताअत् करे और जिस ने यह नज़र मानी कि वह अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो वह उस की नाफरमानी न करे । (बुख़ारी)

सवाल (११) क्या ग़ैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह् करना जायज् है । ?

जवाब : ग़ैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह् करना जायज् नहीं ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الكوثر/٢)

अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और उसी के लिए जानवर ज़बह् कीजिए । (सूरा अल्कौसर /२)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ।

((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ)) (مسلم)

अल्लाह की लअ्नत् (अभिशाप) हो उस आदमी पर जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के लिए जानवर ज़बह् करे।(मुस्लिम)

सवाल (१२) क्या हम तक़र्रुब् हासिल् करने के लिए क़बरों का तवाफ कर सकते हैं। ?

जवाब : ख़ाना कअ्बा के सिवा किसी भी जगह का तवाफ नहीं कर सकते।

दलील : अल्लाह तआला का इरशाद है।

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج / ٢٩)

और चाहिए कि लोग पुराने घर बैतुल्लाह का तवाफ करें।

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है।

((مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ)) (صحيح ابن ماجه)

जिस ने बैतुल्लाह का सात चक्कर तवाफ किया और फिर दो रकात नमाज़ पढ़ी तो गोया उस ने एक गुलाम आज़ाद किया।

सवाल (१३) जादू के बारे में क्या हुकम है ?

जवाब : जादू कुफ्र है।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (البقرة /١٠٢)

लेकिन शैतानों ने कुफ़्र किया क्योंकि वे लोगों को जादू सिखाते थे। (सूरा अल्बक़रा / १०२)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ : اَلشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ......)) (مسلم)

सात हेलाक करने वाली चीज़ों से बचो : अल्लाह के साथ शिर्क करना और जादू से .... (मुस्लिम)

सवाल (१४) क्या हम अर्राफ (भविष्यवक्ता) काहिन् और नजूमी की तस्दीक़ (पुष्टि) इल्मे ग़ैब (परोक्ष विद्या) के बारे में कर सकते हैं ?

जवाब : इल्मे ग़ैब के सिलसिले में हम उन की तस्दीक़ नहीं कर सकते हैं।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل /٦٥)

हे नबी ! आप कह दीजिए कि ज़मीन व आसमान में अल्लाह तआला के सिवा कोई भी ग़ैब नहीं जानता। (सूरा नमल् / ६५) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् का फरमान है।

((مَنْ أَتَى عَرَّافاً اَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)) (صحيح رواه أحمد)

जो आदमी अर्राफ या काहिन के पास आया और उस की कही हुई बातों की तस्दीक़ की तो उस ने मुहम्मद ﷺ पर नाज़िल की हुई शरीअत् के साथ कुफ्र किया।[1]

सवाल (१५) क्या किसी को ग़ैब मालूम है ?

---

[1] यह तो तस्दीक़ करने वाले के बारे में है और अगर तस्दीक़ नहीं की केवल उस के पास जाकर सवाल किया है तो ऐसे आदमी के विषय में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है।

((مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً)) (مسلم)

जो आदमी अर्राफ के पास आया और उस से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया तो उस की चालीस दिन की नमाज़ क़बूल न की जायेगी। (मुस्लिम)

जवाब : अल्लाह के सिवा किसी को भी ग़ैब मालूम नहीं। हाँ मगर रसूलों में से जिस को अल्लाह रब्बुल् आलमीन चाहता है उसे ग़ैब की कुछ बातें बता देता है।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا(٢٦)إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾

अल्लाह तआला आलिमुल् ग़ैब है। वह किसी को ग़ैब की चीज़ो पर मुत्तलअ् (अवगत्) नहीं करता है। मगर रसूलों में से जिस को चाहे।[2] (सूरा अल्जिन्न / २६)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((لاَيَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ)) (حسن رواه الطبراني)

अल्लाह के सिवा ग़ैब कोई नहीं जानता। (तब्रानी)

सवाल (१६) क्या हम शिफा (स्वस्थ्य) हासिल् करने के लिए धागा और छल्ला पहन् सकते हैं ?

जवाब : नहीं पहन् सकते।

दलील : अल्लाह तआला का इरशाद है।

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ (الانعام /١٧)

और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाये तो उस के सिवा उस को कोई दूर करने वाला नहीं है। (अल्अन्आम/१७)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

---

[2] ग़ैब और इल्मे ग़ैब दोनों में बहुत अन्तर है। कुछ लोग कहते हैं कि अम्बिया को इल्म ग़ैब अताई हासिल् होता है। यह अक़ीदा बिलकुल् ग़लत है। क्योकि यहाँ पर अल्लाह तआला ने ग़ैब की कुछ बातें बतलाने के बारे में कहा है न कि इल्मे ग़ैब के बारे में।

((أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيْدُكَ إِلاَّ وَهْناً انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْمِتَّ مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً))

(صحيح ، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي)

यह तो सिर्फ तुम को कम्ज़ोर ही करेगा , इस को निकाल फेंको , अगर तुम इसी हालत् में मर गये तो कभी भी कामियाब न होगे । (मुस्तदरक् हाकिम)

सवाल (१७) क्या हम मन्का , कौड़ी , सीपी और घोंघा वग़ैरा इस तरह की चीजें नज़्रे बद् से बचने के लिए लटका सकते हैं ?

जवाब : हम नज़्रे बद् से बचने के लिए या शिफा (स्वस्थ्य) हासिल् करने के लिए इन चीज़ों को नहीं लटका सकते हैं ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ (الانعام/١٧)

और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तक्लीफ पहुँचाये तो उस के सिवा कोई उस को दूर नहीं कर सकता । (अल्अन्आम/१७)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ।

((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) (صحيح رواه أحمد)

जिस ने तावीज़ लटकाई उस ने शिर्क किया । (मुस्नद अह्मद)

सवाल (१८) इस्लाम के मुख़ालिफ (विरुद्ध- विपरीत) क़ानून (नियम) पर अमल करने का क्या हुक्म है ?

जवाब : जायज् या दुरुस्त समझकर उन नियमों पर अमल करना कुफ्र है ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائده/٤٤)

जो अल्लाह की नाज़िल् की हुई शरीअत् के मुताबिक़ फैसला न करें वही लोग काफिर हैं। (अल्माइदा /४४)
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् का इरशाद है।

((وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ الاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ)) (حسن ، رواه ابن ماجه وغيره)

जब मुस्लिम हुक्मराँ अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फैसला न करेंगे और अल्लाह के नाज़िल् किए गये नियमों को इख़्तियार न करेंगे। तो अल्लाह उन के दरमियान फूट डालदेगा। (इबने माजा)

सवाल (१९) शैतानी सवाल और शैतानी वस्वसा क़ि "अल्लाह को किस ने पैदा किया ?" अगर किसी के दिल में यह वस्वसा उठे तो इस को कैसे दूर किया जाये ?

जवाब : जब शैतान किसी के दिल में यह वस्वसा पैदा करे तो उस को चाहिए कि अल्लाह तआला की पनाह चाहे। और निम्नलिखित मासूरा दुआ पढ़े।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

और अगर शैतान दिल में वस्वसा डाले तो अल्लाह की पनाह माँग बेशक वह सुनने वाला और जानने वाला है। (फुस्सिलत/३६)
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतानी वस्वसा दूर करने के लिए हमें यह दुआ सिखलाई है।

((امَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِه ، اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ،لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ))

मैं अल्लाह पर और उस के रसूलों पर ईमान लाया , अल्लाह एक है , अल्लाह बेनियाज़ है न उस ने किसी को जना है और न वह जना गया है और न ही उस का कोई हमसर है ।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरकीब बतलाई ।
((ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلْيَنْتَهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ)) (ملخصا من البخاري ومسلم واحمد وابي داؤد)
फिर चाहिए कि अपने बायें तरफ तीन मरतबा थुत्कार दे और शैतान से अल्लाह की पनाह चाहे यानी اعوذ بالله من الشيطان الرجيم पढ़े । और इस तरह की भावनाओं , विचारों और ख़ेयालात से रुक जाये । यह अमल् उस वस्वसा को दूर कर देगा ।

सवाल (२०) शिर्के अकबर (बड़े शिर्क) का नुक़सान क्या है ?

जवाब : शिर्के अकबर (बड़ा शिर्क) हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहने का सबब् बनता है ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।
﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (المائده /٧٢)
बेशक जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है । और उस का ठेकाना जहन्नम है और ज़ालिमों (मुश्रिकों) का कोई मददगार नहीं होगा ।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ।
((مَنْ لَقِيَ اللهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ)) (مسلم)
जो अल्लाह से इस हाल में मिले कि उस के साथ किसी को शरीक करता हो वह जहन्नम में दाखिल् होगा । (मुस्लिम)

सवाल (२१)क्या शिर्क के साथ कोई नेक अमल् फाइदा देगा ?

जवाब : शिर्क के साथ नेक अमल् फायदा नहीं देगा।

दलील: अल्लाह तआलाका इरशाद है अम्बियाऐ किराम के बारे में।

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الانعام /٨٨)

अगर वे अम्बिया भी शिर्क करते तो उन की नेकियाँ भी अकारत और बरबाद होजातीं। (सूरा अल्अन्आम /८८)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((قَالَ اللهُ تَعَالَى أَنَاأَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيْ فِيْهِ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) (مسلم)

अल्लाह तआला का फरमान है कि मैं सब से ज़्यादा शिर्क से बेनियाज़ हूँ जिस किसी ने कोई ऐसा अमल् किया जिस में मेरे साथ दूसरों को शरीक किया तो मैं उस को और उस के शिर्क को छोड़ देता हूँ। (मुस्लिम)

शिर्के अस्ग़र (छोटा शिर्क)

सवाल (१) शिर्के अस्ग़र (छोटा शिर्क) क्या है ?

जवाब :रिया व नमूद , दिखावा यह शिर्के अस्ग़र कहलाता है।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف /١١٠)

जो आदमी अल्लाह से मिलने की उम्मीद व यक़ीन रखता है उसे चाहिये कि नेक अमल् करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। (सूरा अल्कहफ् / ११०)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ : اَلرِّيَاءُ)) (صحيح ، رواه أحمد)

बेशक् सब से ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जिस चीज़ से डरता हूँ वह शिर्के अस्ग़र यानी रिया व नमूद और दिखावा है। (अहमद्)
और शिर्के अस्ग़र (छोटा शिर्क) आदमी का यह कहना भी है।
"अगर अल्लाह न होता और आप न होते " या "जो अल्लाह चाहे और आप चाहें "
रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया।

((لَاتَقُولُوا مَاشَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا:مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ)) (صحيح ، رواه أبوداود)

यह न कहो कि जो अल्लाह चाहे और फलाँ आदमी चाहे बल्कि इस तरह कहो कि जो अल्लाह चाहे फिर उस के बाद फलाँ आदमी चाहे। (अबूदाऊद)

सवाल (२) क्या अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की क़सम खानी जायज् है ?

जवाब : अल्लाह के सिवा किसी और की क़सम खानी जायज् नहीं है।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ (التغابن/ ٧)

कहो ! क्यों नहीं , मेरे रब् की क़सम् तुम ज़रूर उठाये जाओगे।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

١ـــ ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)) (صحيح ، رواه أحمد)

जिस ने ग़ैरुल्लाह की क़सम् खाई उस ने शिर्क किया। (अहमद)

٢ـــ ((مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)) (متفق عليه)

जिस को क़सम् खानी हो उसे चाहिये कि अल्लाह की क़सम् खाये वरना ख़ामोश रहे। (बुख़ारी तथा मुस्लिम)

वसीला पकड़ना और शिफाअत् तलब करना

सवाल(१):हम अल्लाह से किन चीज़ों से वसीला पकड़ें ?

जवाब : वसीला की दो क़िस्में हैं। (१) जायज् वसीला। (२) मम्नूअ् और नाजायज् वसीला।

(१) जायज् और मशुरूअ् व मतलूब वसीला

यह है कि आदमी अल्लाह तआला के अस्माये हुस्ना (अच्छे, अच्छे नामों) और उस की सिफात (गुणों) और नेक आमाल का वसीला पकड़े।

दलील : अल्लाह तआला का इरशाद है।

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الاعراف/١٨٠)

अल्लाह के लिए अस्माये हुस्ना (अच्छे – अच्छे नाम) हैं तो उन्हीं नामों से उस को पुकारारो। (सूरा अल्आराफ /१८०)

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

ऐ लोगो जो ईमान लाये हो अल्लाह से डरो और उस की तरफ् वसीला चाहो।

हजरत क़तादः (रजि) फरमाते हैं यानी अल्लाह का तक़र्रुब् चाहो उस की इताअत् और फर्माबर्दारी करके और ऐसे अमल् के जरिया जो उस को पसन्द हो। (इब्ने कसीर)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ)) (مسلم)

ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से माँगता हूँ हर उस नाम के जरिया जो तेरे लिए है। (मुस्लिम)

और एक सहाबी से आप ﷺ ने फरमाया जिन्हों ने जन्नत में आप ﷺ के साथ रहने की तमन्ना जाहिर की थी।

((أَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ)) (مسلم)

तुम अपने बारे में मेरी मदद् करो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ली नमाज़ें पढ़ के। (मुस्लिम) और नमाज़ भी नेक अमल है।

इसी तरह् ग़ार वालों का क़िस्सा जो सहीह बुख़ारी में है कि उन्हों ने अपने अपने नेक आमाल को वसीला बना कर अल्लाह से दुआ की थी तो अल्लाह ने उन की मुसीबत् को दूर कर दिया था।

नोट : वसीला के सिलसिले में तफ़्सीली मालूमात के लिए उर्दू ज़बान में ((हक़ीक़ते वसीला , लेखक् मक़्सूदुल्हसन् फैज़ी)) और अद्दारुस्सलफीया मुम्बई से प्रकाशित किताब ((मम्नूअ व मश्रूअ् वसीला की हक़ीक़त्)) बहुत मुफीद है।

(२) मम्नूअ् और ना जायज् वसीला।

इस की एक सूरत् तो यह है कि आदमी मुर्दों को पुकारे और उन से जरूरतें तलब् करे , जैसा कि आज कल् हो रहा है। यह शिर्के अकबर है।

दलील : अल्लाह का फरमान है।

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ (يونس / ١٠٦)

और अल्लाह के सिवा दूसरों को न पुकारो जो न तुम को नफा दे सकते हैं और न नुक्सान पहुंचा सकते हैं। अगर तुम ने ऐसा

किया तो ऐसी सूरत् में तुम ज़ालिमों (यानी मुश्रिकों) में से हो जाओगे । (सूरा यूनुस् /१०६)

और मम्नूअ् तथा नाजायज् वसीला की दूसरी शकल् यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाह व हश्मत् मोक़ाम व मरतबा का वसीला लिया जाये । ((और इसी तरह् अम्बिया तथा अवलिया की ज़ात या हक् व हुरमत् और बरकत् का वसीला लिया जाये या किसी के वसीला से अल्लाह पर क़सम खाया जाये ।)) मिसाल के तौर पर कहा जाये कि ऐ अल्लाह ! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाह व हश्मत् के वसीला से हमें शिफा (स्वस्थ्य) दे तो यह शकल बिद्अत् है क्योंकि सहाबा किराम (रजि) से यह साबित् नहीं ।

चुनाँचे जब हजरत उमर (रजि) के दौरे खेलाफत् में क़हत् साली आई और उस मौक़ा पर जब इस्तिस्क़ा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास (रजि) को आगे बढ़ाया गया तो उस समय हजरत अब्बास (रजि) की दुआओं का वसीला लिया गया था जो कि ज़िन्दा थे । और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद आप ﷺ से वसीला नहीं पकड़ा , हालाँ कि आप ﷺ की क़बर मदीना में मौजूद थी । (बुख़ारी)

अगर कोई यह अक़ीदा रखे कि अल्लाह तआला किसी बशर के वासते का मुहताज है जिस तरह अमीर और हाकिम मुहताज होते हैं । तो वसीला की यह शकल् शिर्क तक पहुँचा देती है । इस लिए कि ख़ालिक् व मख़लूक़ के दरमियान कोई मुशाबहत् नहीं ।

सवाल (२)क्या दुआ में किसी बशर के वास्ता की जरूरत है ?

जवाब : दुआ में किसी बशर की कोई जरूरत नहीं ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (البقرة /١٨٦)

और जब आप से मेरे बन्दे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उन्हें बता दें कि मैं उन से बिल्कुल् क़रीब हूँ। (सूरा अल्बक़रा/१८६)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيْعاً قَرِيْباً وَهُوَ مَعَكُمْ)) (مسلم)

वेशक् तुम सुनने वाले, क़रीब रहने वाले को पुकारते हो। वह अपने इल्म , ज्ञान तथा सुनने और देखने के ऐतबार (आधार) से तुम्हारे साथ है। (मुस्लिम)

सवाल (३) क्या ज़िन्दों से दुआ कराना जायज् है ?

जवाब : हाँ ! नेक और स्वालेह ज़िन्दों से दुआ कराना जायज् है न कि मुर्दों से।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (محمد/١٩)

और आप अपने और मोमिन मर्दों तथा मोमिना औरतों के गुनाहों के लिए इस्तिग़फार कीजिए। (सूरा मुहम्मद /१९)

और त्रिमिज़ी शरीफ की सहीह् ह़दीस है।

((أَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم فَقَالَ أُدْعُ الله أَنْ يُعَافِيَنِيْ ......))

एक अन्धा आदमी रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया और कहा कि आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे आ़फियत् दे दे। (त्रिमिज़ी)

नोट : लेकिन आप ﷺ की वफ़ात के बाद किसी सहाबी ने आप ﷺ से दुआ का मुतालबा नहीं किया । इस लिए मुर्दों से दुआ तलब् करना जायज़् नहीं ।

सवाल (४) रसूलुल्लाह ﷺ किस चीज़ के वास्ता हैं ?

जवाब : रसूलुल्लाह ﷺ तब्लीग़ यानी बन्दों तक अल्लाह का हुकम पहुँचाने का वास्ता हैं ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (المائده /٦٧)

ऐ रसूल ! तुम पर तुम्हारे रब की तरफ् से जो कुछ नाज़िल् किया गया है उस को लोगों तक पहुँचा दो । (सूरा अल्माइदा/६७)

और सहाबा किराम रिजवानुल्लाहे अलैहिम् ने जब कहा ।

((نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ))

हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप ने पहुँचा दिया है ।

तो आप ﷺ ने फरमाया ।

((أَللَّهُمَّ أَشْهَدْ)) (مسلم)

ऐ अल्लाह ! तू इस बात पर गवाह रह् । (मुस्लिम)

सवाल (५) रसूलुल्लाह ﷺ की शफाअत् किस से तलब् करें ?

जवाब : रसूलुल्लाह ﷺ की शफाअत् अल्लाह तआला से तलब् करनी चाहिए ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ (الزمر/٤٤)

हे नबी ! आप लोगों से कह दीजिये कि तमाम शफाअतें अल्लाह ही के अधिकार में हैं । (सूरा ज़ुमर /४४)

और रसूलुल्लाह ﷺ ने एक सहाबी को यह दुआ सिखाई थी।

((أَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ)) (حسن صحيح ، رواه الترمذي)

ऐ अल्लाह ! रसूलुल्लाह ﷺ को मेरे बारे में शफाअत् करने वाला बना दे। (त्रिमिज़ी)

और रसूलुल्लाह ﷺ का फरमान है।

((إِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً)) (صحيح مسلم)

बेशक् मैं ने अपनी दुआ को क़यामत् के दिन् अपनी उम्मत् के उन लोगों की शफाअ़त् के लिए छिपा रखा है जो इस ह़ाल में मरें कि वे अल्लाह के साथ ज़र्रा बराबर भी शिर्क न करते हों। (सहीह़ मुस्लिम)

सवाल (६) क्या हम ज़िन्दों से शफाअ़त् (सिफारिश्) तलब् कर सकते हैं ?

जवाब : हाँ ! ज़िन्दों से दुनियावी कामों और चीज़ों में (जो जायज् तथा ह़लाल भी हों) शफाअ़त् (सिफाारश्) तलब् कर सकते हैं।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ (النساء /٨٥)

जो आदमी अच्छी बात की सिफारिश् करे उस को उस में से एक भाग मिलेगा और जो आदमी बुरी बात की सिफारिश् करे उस को एक भाग उस में से मिलेगा। (सूरा अन्निसा /८५)

और रसूलुल्लाह ﷺ का फरमान है।

((إِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا)) (صحيح ، رواه ابوداؤد)

सिफारिश् करो तुम्हें सवाब मिलेगा । (अबूदाऊद)

सवाल (७) क्या हम रसूलुल्लाह ﷺ की तारीफ व प्रशंसा में मुबालग़ा (अतियुक्ति) कर सकते हैं ?

जवाब : आप ﷺ की तारीफ व प्रशंसा में हम मुबालग़ा नहीं कर सकते ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾(الكهف/١١٠)

आप क़ह दीजिये कि बेशक् मैं तुम्हारी तरह् एक इन्सान हूँ । मेरी तरफ् वह्य की गई है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है । (सूरा अल्कहफ् / ११०)

और रसूलुल्लाह ﷺ का फरमान है ।

((لاَتُطْرُوْنِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَي عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَـا عَبْـدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ)) (رواه البخارى)

तुम मेरी प्रशंसा और तारीफ में हद् (सीमा) से आगे न बढ़ो जिस तरह नसारा ने ईसा बिन् मर्यम् की तारीफ में हद् (सीमा) से आगे बढ़ गए थे । बेशक् मैं एक बन्दा हूँ इस लिए तुम मुझे अल्लाह का बन्दा और उस का रसूल कहो ॥ (बुख़ारी)

जेहाद , वला (दोस्ती) और हुक्म् (निर्णय)

सवाल (१) अल्लाह की राह में जेहाद का क्या हुकम है ?

जवाब : अल्लाह की राह में माल व जान और ज़बान के जरिया जेहाद करना वाजिब है ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبة/٤١)

मुसलमानों ! हलके हो या भारी निकल खड़े हो और अल्लाह की राह में अपने जान व माल से जेहाद करो । (सूरा तौबा/४१)

नोट : हलके और भारी का मत्लब् यह है कि तुम खुश् हाल हो या तङ्गदस्त , जवान हो या बूढ़े , तन्दुरुस्त हो या बीमार , तन्हा हो या बाल बच्चों वाले , हथियार से लैस हो या बेहथियार हर हाल में निकलना जरूरी है ।

और रसूलुल्लाह ﷺ का फरमान है ।

((جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ)) (صحيح ، رواه أبوداؤد)

तुम मुश्रिकों से अपने मालों और जानों और ज़बानों के जरिया जेहाद करो । (अबूदाऊद)

सवाल (२) वला किस को कहते हैं ?

जवाब : वला , मोहब्बत् (प्रेम) और नुस्रत् (मदद्) को कहते हैं ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (التوبة /٧١)

मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के लिए आपस में दोस्त और मददगार हैं। (सूरा तौबा ७१)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً)) (مسلم)

एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए उस इमारत की तरह है जिस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से ताक़त (बल) हासिल् करता है।

सवाल (३) क्या काफिरों से दोस्ती और उन की नुस्रत् (मदद्) जायज़् है ?

जवाब : काफिरों से दोस्ती और उन की नुस्रत् मदद् जायज् नहीं है।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (المائده/٥١)

तुम में से जो आदमी उन से (यानी कारिफरों से) दोस्ती गाँठेगा वह उन्हीं में से है। (सूरा अल्माइदा / ५१)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((إِنَّ آلَ بَنِي فُلَانٍ لَيْسُوْا بِأَوْلِيَائِي)) (صحيح ، رواه أحمد)

बेशक फलाँ ख़ानदान वाले मेरे दोस्त नहीं। (मुस्नद् अहमद्)

सवाल (४) वली किस को कहते हैं।

जवाब :प्रहेज़गार,मुत्तक़ी और नेक मोमिन् को वली कहते हैं।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(٦٢)الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ(٦٣) ﴾ (يونس /٦٢—٦٣)

ख़बरदार ! बेशक् अल्लाह के वलियों पर न ख़ौफ तारी होता है और न वे ग़म्ग़ीन होते हैं। और वली वह लोग हैं जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते हैं। (सूरा यूनुस / ६२–६३)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है।

((إِنَّمَاوَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ)) (صحيح ، رواه أحمد)

बेशक् मेरा वली(दोस्त)अल्लाह है और नेक मोमिनीन ।(अहमद)

सवाल (५) मुसलमानों को किस चीज़ के मुताबिक् फैसला करना चाहिये ?

जवाब : मुस्लमानों को कुरआन मजीद और सहीह हदीस के मुताविक् फैसला करना चाहिये।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ (المائده/٤٩)

आप इन के दरमियान उस के मुताबिक् फैसला करें जो अल्लाह ने नाज़िल् किया है। (सूरा अल्माइदा / ४९)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् का फरमान है।

((عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ)) (مسلم)

तू ग़ायब् और हाजिर का जानने वाला है , तू ही अपने बन्दों के दरमियान फैसला करता है। (मुस्लिम)

क़ुरआन और हदीस पर अमल्

सवाल (१) क़ुरआन किस लिए नाज़िल् किया गया ?

जवाब : क़ुरआन इस लिए नाज़िल् किया गया ताकि लोग उस पर अमल् करें।

दलील : अल्लाह तआला का इरशाद।

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (الاعراف /٣)

उस चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ़् तुम्हारे रब् की तरफ से नाज़िल् की गई है। (सूरा अल्आराफ /३)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((إِقْرَؤُاالقُرْآنَ وَاعْمَلُوْا بِه وَلَاتَأْكُلُوْا بِهِ)) (صحيح ، رواه أحمد)

क़ुरआन पढ़ो और उस पर अमल करो और उसे पेट भरने का जरिया न बनाओ। (मुस्नद् अहमद्)

सवाल (२) सहीह् हदीस पर अमल् करने का क्या हुकम है ?

जवाब : सहीह् हदीस पर अमल् करना वाजिब है।

दलील : अल्लाह तआला का इरशाद है।

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر/٧)

रसूलुल्लाह ﷺ जो तुम को दें वह ले लो और जिस चीज़ से रोक दें उस से रुक् जाओ। (सूरा अल्हश्र /७)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا))

(صحيح ، رواه أحمد)

तुम मेरी सुन्नत और हेदायत याफता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत् लाज़िम पकड़ो और उसे मज़बूती के साथ थामे रहो।

सवाल (३) क्या हम केवल कुरआन पर अमल् करके हदीस से बेनियाज़ हो सकते हैं ?

जवाब : हम हदीस से बेनियाज़ नहीं हो सकते हैं ?

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل/٤٤)

और हम ने तुम्हारी तरफ् ज़िक्र (कुरआन) नाज़िल् किया ताकि तू लोगों के सामने उस चीज़ को खोल खोल कर बयान कर दे जो उन की तरफ् नाज़िल किया गया है। (सूरा नहल/४४)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((أَلاَ إِنِّى أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)) (صحيح ، رواه أبوداؤد وغيره)

ख़बरदार ! बेशक् मैं कुरआन दिया गया हूँ और उस के साथ उस के मिस्ल दिया गया हूँ। (अबूदाऊद)

सवाल (४) क्या अल्लाह और उस के रसूल के क़ौल (कथन) पर किसी के क़ौल को मोक़द्दम किया जा सकता है ?

जवाब : अल्लाह और उस के रसूल के क़ौल पर किसी का क़ौल मोक़द्दम नहीं कर सकते।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللهِ وَرَسُولِه﴾ (الحجرات/١)

ऐ ईमान वालो ! अल्लाह और उस के रसूल से आगे बढ़ने की जसारत् मत् करो। (सूरा अलहुजुरात / १)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) (صحيح ، رواه الطبراني)

जब ख़ालिक् (अल्लाह) की नाफरमानी हो रही हो तो ऐसी हालत् में किसी मख़लूक़ (सृष्टि) की फरमाँबर्दारी जायज् नहीं।

और हजरत अब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रजि) ने फरमाया।

((يُوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُوْلُ لَكُمْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم وَتَقُوْلُوْنَ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ))(الحديث والمحدثون /٣٤ـ تيسير العزيز الحميد /٥٤٤)

हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसने लगें, इस कारण कि मैं तुम से कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तुम अबूबक्र वं उमर का क़ौल (कथन) पेश करते हो। (अलहदीस वल्मुहद्दिसून /३४ तैसीरुल् अज़ीज़िल्हमीद /५४४)

सवाल(५)जब आपस में इख़्तिलाफ पैदा हो तो हम क्या करें ?

जवाब : जब इख़्तिलाफ पैदा हो तो क़ुरआन और सहीह हदीस की तरफ् रुजूअ़ करें।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء /٥٩)

अगर तुम आपस में किसी चीज़ के बारे में इख़्तिलाफ़ करो तो अल्लाह और रसूल की तरफ रुजूअ करो (यानी क़ुरआन तथा हदीस में उस झगड़े का समाधान खोजो) अगर तुम अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हो। यही तरीक़ा बेहतर है और इस का अन्जाम भी बेहतर होगा। (सूरा निसा /५९)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है।

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَتَمَسَّكُوْا بِهَا) (صحيح ، رواه أحمد)

तुम मेरी सुन्नत् को और खुलफाये राशिदीन के तरीके को लाजिम पकड़ो और उसे मज़बूती के साथ थामे रहो। (अहमद्)

सवाल (६) तुम अल्लाह और उस के रसूल से किस तरह् मोहब्बत् करते हो ?

जवाब : हम अल्लाह और उस के रसूल से उन की फरमाँबरदारी और उन के हुकमों की पैरवी करके मोहब्बत् करते हैं।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران / ٣١)

कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत् करते हो तो मेरी पैरवी करो अल्लाह तुम को महबूब रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख़्श देगा अल्लाह बख़्शने वाला और मेहरबान है।
(सूरा आले इम्रान / ३१)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) (متفق عليه)

तुम में से कोई आदमी उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस के नजूदीक उस के वालिद्, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊँ।(बुख़ारी व मुस्लिम)

सवाल (७) क्या हम तक्दीर पर भरोसा करके अमल् को छोड़ दें ?

जवाब : अमल् को नहीं छोड़ सकते।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى(٥)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى(٦)فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧)﴾ (الليل / ٥—٧)

जिस ने अल्लाह के लिए धन माल ख़र्च किया और परहेज़गारी इख़्तियार किया और भलाई की तस्दीक़ की तो हम उसे आसान काम की तरफ़ लगा देंगें । (यानी हम उसे नेकी और अच्छे काम की तौफीक़ देंगें ।) (सूरा अल्लैल /५/६/७)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ।

((إعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ)) (بخاری)

अमल करते रहो हर एक के लिए वह चीज़ आसान कर दी गई है जिस के लिए वह पैदा किया गया है । (बुख़ारी)

सुन्नत और बिद्अत्

सवाल (१) दीन में बिद्अ़त् किस को कहते हैं ?

जवाब : दीन में बिद्अ़त् यह है कि आदमी दीन के अन्दर कोई चीज़ अपनी तरफ् से बढ़ाये या कमी करे । और यह मरदूद है ।

दलील : अल्लाह तआला ने मुशरिकीन और उन की बिद्अ़तों पर नकीर (उल्लंघन) करते हुए फ़रमाया ।

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى/٢١)

क्या उन लोगों ने शरीक बना रखे हैं । जो उन को दीन का रस्ता बताते हैं जिस का अल्लाह ने हुकंम नहीं दिया । (शूरा)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ।

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) (متفق عليه)

जिस किसी ने मेरे इस दीन में ऐसी चीज़ ईजाद (उत्पन्न) की जो इस में नहीं है तो वह मरदूद है । (बुख़ारी तथा मुस्लिम)

सवाल (२) क्या दीन में बिद्अते हसना भी है ?

जवाब : दीन में कोई बिद्अते हसना नहीं है ।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है ।

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائده /٣)

आज मैं ने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल् कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत् तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के रूप में पसन्द फरमाया है । (सूरा अल्माइदा /३)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ।

((وَكُلّ بَدْعَة ضَلالَةٌ وَكُلّ ضَلاَلَة في النَّار)) (صحيح ، رواه أحمد)

और हर बिद्अत गुम्राही है और हर गुम्राह का ठिकाना जहन्नम है। (मुस्नद् अह्मद्)

सवाल (३) क्या इस्लाम में सुन्नते ह्स्ना है ?

जवाब : हाँ इस्लाम में सुन्नते हसना है।

दलील:रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।

((مَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِــنْ بَعْدِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ)) (بخاري)

जिस ने इस्लाम में किसी सुन्नते हसना को जारी किया उस को उस का सवाब मिलेगा और उस के बाद जो उस पर अमल करेंगें उन का भी सवाब मिलेगा , बगैर इस के कि उन के सवाबों में किसी तरह् की कमी आये। (बुख़ारी)

सवाल (४) मुसल्मानों को ग़लबा कब् हासिल् होगा ?

जवाब : मुसलमानों को ग़लबा उस समय हासिल् होगा जब वे अल्लाह की किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत् पर अमल करेंगें और तौहीद पर साबित् क़दम रहते हुए उस का प्रचार व प्रसार करेंगें और शिर्क जैसे महापाप से बचेंगें और अपने दुश्मनों के मुक़ाबिला के लिए क्षमतानुसार तैयारी करेंगें।

दलील : अल्लाह तआला का फरमान है।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ(٧)﴾(محمد)

ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद् करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद् करेगा और तुम्हारे पैरों को जमा देगा। (सूरा मुहम्मद /७)

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ (النور /٥٥)

जो लोग तुम में से ईमान लाये और अच्छे काम किए अल्लाह तआला ने उन से वादा किया है कि एक न एक दिन उन को ज़मीन में हुकूमत् देगा जिस तरह उस ने इन से पहले के लोगों को हुकूमत् प्रदान की थी , और जिस दीन को उन के लिए पसन्द किया है उस को साबित् व ग़ालिब् कर देगा और भय के बाद उन्हें शान्ति प्रदान करेगा , वे केवल मेरी इबादत् करेंगें और मेरे साथ किसी अन्य को शरीक न करेंगें । (सूरा नूर/५५)

क़बूल होने वाली दुआ

اَللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ،أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي (صحيح ، رواه أحمد فى مسنده)

ऐ अल्लाह मैं तेरा बन्दा हूँ। तेरे बन्दे का बेटा हूँ। और तेरी बाँदी का बेटा हूँ। मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। मुझ में तेरा हुकम जारी है। मेरे बारे में तेरा फैसला न्याय पूर्ण है। मैं तुझ से तेरे हर उस नाम से माँगता हूँ जो तेरे लिए है जो नाम तूने अपना रखा है और अपनी किताब में नाज़िल किया है या अपनी मख़लूक़ में से किसी को सिखाया है या अपने इलमे ग़ैब में महफ़ूज़ कर रखा है कि क़ुरआन को मेरे दिल की बहार और मेरे सीने का नूर बना दे और मेरे ग़म् को दूर करने वाला और मेरी चिन्ता फ़िक्र को हरण करने वाला बना दे।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी बन्दे को ग़म् और चिन्ता लाहिक़् हो तो वह ऊपर वाली दुआ पढ़े अल्लाह तआला अपनी रहमत् से उस के ग़म् और शोक , चिन्ता को दूर कर देगा और तन्गी की जगह कुशादगी प्रदान करेगा। (मुस्नद अहमद)

आप का भाई धर्म सेवक
अबू फैसल् /आबिद बिन सनाउल्लाह अल्मदनी
इस्लामिक सेन्टर उनेज़ा अल्क़सीम फोन न०-३६४४५०६
फैक्स न०- ०६-३६१२७९३